

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी-रामजी लाल ताम्रकार

व्यवहार वाद क्रमांक 71ए/2017
प्रस्तुति दिनांक-19.06.2017

श्रीमती परमीलाबाई बेवा सीताराम मोहारे, उम्र 48 वर्ष,
जाति लोधी, निवासी कोसमी, तह0 एवं जिला बालाघाट। ----- वादी।

--:: बनाम ::--

1. जेटू पिता चिन्धु मसखरे, उम्र 75 वर्ष, जाति लोधी,
2. पेण्डारी पिता जेटू मसखरे, उम्र 50 वर्ष, जाति लोधी,
3. शिवलाल पिता जेटू मसखरे, उम्र 45 वर्ष, जाति लोधी,
4. राजेश पिता शिवलाल मसखरे, उम्र 23 वर्ष, जाति लोधी,
5. ब्रिजेश पिता पेण्डारी मसखरे, उम्र 21 वर्ष, जाति लोधी,
सभी निवासी ग्राम आमगांव, तह0-जिला बालाघाट।
6. मध्यप्रदेश शासन तर्फे प्रतिनिधि कलेक्टर बालाघाट,
कलेक्टर कार्यालय, बालाघाट, तह0-जिला बालाघाट।----- प्रतिवादीगण।

--:: आदेश ::--

(आज दिनांक 17/08/2017 को पारित)

01- इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

02- वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 आपस में सगे संबंधी हैं जिनके कुटुम्ब का मुखिया जेटू पिता चिन्धु मसखरे (प्रति.क्र.-1) है तथा जेटू की पत्नी बेलाबाई थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जेटू और बेलाबाई के सहवास से तीन संतानें पेण्डारी (प्रति.क्र.-2), परमीलाबाई (वादि्या) तथा शिवलाल (प्रति.क्र.-3) हुए तथा प्रति.क्र.-2 पेण्डारी की संतान ब्रिजेश (प्रति.क्र.-5) एवं प्रति.क्र.-3 शिवलाल की संतान राजेश (प्रति.क्र.-4) हैं।

03— वादी ने अपने आवेदन में आगे यह भी दर्शाया है कि जेटू पिता चिन्धू के नाम दीगर चल व अचल सम्पत्ति के अलावा मौजा आमगांव, प0ह0नं0-11, रा.नि. मं. बालाघाट, तहसील एवं जिला बालाघाट में भूमि स्वामी हक की खसरा नंबर 83/6 रकबा 7.00-2.831 हेक्टेयर, खसरा नंबर 83/10 रकबा 1.00-0.405 हेक्टेयर, खसरा नंबर 83/12 रकबा 1.00-0.405 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 83/13 रकबा 1.64-0.664 हेक्टेयर विरासतन भूमि है जिसमें पुत्री होने के नाते वादिया परमीलाबाई का बराबर का हक व हिस्सा है, किन्तु वादी का हक व हिस्सा हड़पने की गरज से प्रतिवादी क्रमांक-1 जेटू, प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 के पुत्र प्रतिवादी क्रमांक-4 राजेश एवं प्रतिवादी क्रमांक-5 बिजेश के नाम बगैर प्रतिफल लिए भूमि का बिक्रीपत्र लिखा कर पंजीयत करा देना चाहता है जिससे भूमि हस्तांतरित हो जाये और वादिया अपना हक व हिस्सा प्राप्त न कर सके। वादिया प्रतिवादी क्रमांक-1 जेटू की जायज संतान है तथा उसका वादग्रस्त भूमि में बराबर का 1/4 हक व हिस्सा है जो लगभग 2.66 एकड़ होता है।

04— वादी ने अपने आवेदन में आगे यह भी उल्लेख किया है कि प्रथम दृष्टया वाद उसके पक्ष में है क्योंकि वह कुटुम्ब की मुखिया जेटू की जायज संतान है तथा उसका वादग्रस्त सम्पत्ति पर बराबर का हक व हिस्सा है इसलिए यथा स्थिति बनाए रखने की दृष्टि से भी अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है। यदि निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो वादिया को अपूर्ण क्षति होगी और उसे अनेक मुकदमोंबाजी में उलझना पड़ेगा जिससे उसे काफी असुविधा भी होगी। अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की वादकालीन अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मूल वाद के निराकरण तक प्रतिवादी क्रमांक-1 या प्रतिवादी क्रमांक-1 से 5 अन्य किसी को वादग्रस्त भूमि का बिक्री पत्र लिखाकर अथवा अन्य प्रकार से भूमि का हस्तांतरित नहीं करें अथवा न करवाये।

05— प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। सूचना पत्र की तामीली पश्चात् भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से मूल वाद का

वादोत्तर अथवा अंतरिम आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया गया है।

06— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण के लिए निम्न प्रश्न विचारणीय हैं कि :-

- 1— क्या वादी का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है ?
- 2— सुविधा का संतुलन ?
- 3— अपूर्ण्य क्षति ?

—:: सकारण-निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

07— वादी के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें इस आशय का उल्लेख है कि वादग्रस्त भूमि जो कि ग्राम आमगांव, प.हप.नं.11, तहसील एवं जिला बालाघाट में स्थित है जिसका कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 4.305 हेक्टेयर है, उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 जेठू पिता चिन्धू मसखरे के नाम पर है। इस भूमि पर वादी का विरासतन हक व हिस्सा निहित है जिसके मुताबिक वह 1/4 हिस्से की स्वत्वाधिकारी है।

08— प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा जो सिजरा खानदान पेश किया गया है वह प्रतिवादी क्रमांक-1 जेठू का प्रस्तुत किया गया है। जेठू की पुत्री वादी परमिलाबाई है तथा प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 जेठू के पुत्र हैं। प्रतिवादी क्रमांक-4 व 5 जेठू के नाती हैं। वादी ने अपने जन्म के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कि छायाप्रति में है जिसके मुताबिक वादी का जन्म दिनांक 13.8.1968 को हुआ था तथा उसके पिता का नाम जेठू है। खसरा पांचसाला एवं किस्तबंदी की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसमें वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 जेठू वल्द चिन्धू के नाम पर दर्ज है। वादी का ऐसा कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 वादी का हक व हिस्सा समाप्त करने के लिए अपने नाती प्रतिवादी क्रमांक-4 व 5 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण

के निराकरण तक के लिए वादग्रस्त भूमि का अंतरण करने के संबंध में रोक प्रभावी किए जाने का निवेदन किया गया है।

09— दावे में वादी ने ऐसा उल्लेख किया है कि पक्षकार हिन्दू है और हिन्दू विधि से शासित होते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 जेटू के स्वत्व एवं आधिपत्य में होना राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। जेटू के जीवनकाल में वादी का स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पोषणीय नहीं है। न्याय-दृष्टान्त बाबूलाल वि० रामकली व अन्य, 2012 (2) एम.पी.एल.जे. पेज नंबर-713 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8, सम्पत्ति पर स्वामित्व रखने वाला हिन्दू पुरुष जीवित है तो उसके वारिस उसके जीवनकाल में हिस्सा या बंटवारा की मांग नहीं कर सकते। इस तरह से वादी का वाद प्री-म्योच्योर है। ऐसी स्थिति में वादी का वर्तमान स्वरूप का दावा प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान होना नहीं पाया जाता है।

10— उपरोक्त विवेचन उपरांत विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 एवं 3 का निराकरण :-

11— उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि वादी का वाद प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक जेटू जीवित है। जेटू के जीवन काल में उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर अगर किसी प्रकार की रोक लगाई जाती है तो उससे प्रतिवादी क्रमांक-1 को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत वादी को उस समय वाद कारण प्राप्त होगा जब जेटू मृत हो जाता है तब वह अपने स्वत्व के आधार पर या हक एवं हिस्से के आधार पर दावा पेश कर सकती है।

12— जहाँ तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है तो वादग्रस्त सम्पत्ति वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य में नहीं है। स्वीकृत रूप से वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक एवं कब्जेदार प्रतिवादी क्रमांक-1 है। उसके जीवनकाल में अगर भूमि पर किसी प्रकार की

रोक प्रभावी की जाती है तो प्रतिवादी क्रमांक-1 को अपूर्ण्य क्षति होना सम्भावित है, परन्तु वादी को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।

13— उपरोक्त विवेचन उपरान्त पाया गया कि वादी का वाद प्रथम दृष्टया सबल और सारवान नहीं है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण्य क्षति का बिन्दू भी वादी के पक्ष में होना नहीं पाया गया है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से निरस्त किया जाता है।

14— इस आदेश का प्रभाव प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर पारित होने वाले निर्णय पर नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही /—

(रामजी लाल ताम्रकार)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(रामजी लाल ताम्रकार)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)